

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

विक्रम सैनी

बनाम

प्रभूदयाल वगै०

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मु०नं० 22 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/419

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

25 रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार गोठवाल एड. उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 07.07.2025 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

7/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थ।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/7/25
को पेश हो।

12/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थ।
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/7/25
को पेश हो।

14.10.2025

पत्रावली वकील वाडी एवं जज की हस्त पर पत्र लिख
वाली के साथ वाड पत्र विद्वा किसे जाने का धारणा पत्र
पेश किसे जाने पर डाउन लोड की जाती। धारणा पत्र पर
वकील वाडी व वाडी ने रिक्वेडन किया की हमारे वकील
राजीवना हो जमा की एक प्रकार को आगे नहीं चलाना
चाहते हैं। अतः प्रकार खसरीज किया जावे।

वडी व वकील वाडी के रिक्वेडन पर वकील का
वाड पत्र विद्वा की अनुमति के साथ खारिज किया
जाता है। वाडी के हस्ताक्षर इन्डेविडा पर आवाजे जाते
जिसकी पहचान वकील वाडी ने की। पत्रावली फोन पर
25 नंबर होम नम्बर के साथ होम दफ्तर दाखिल हो।

वाड पत्र का
भाग नहीं
पुस्ताना-बाह्य
है।
विक्रम सैनी

पहिलानफर
X

राजेंद्र जीठवाल



राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

FORM III

फर्द अहकाम